

राज्य समाज कल्याण बोर्डों की अध्यक्ष एवं सचिवों  
को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

**DELEGATION OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL POWERS TO CHAIRPERSON & SECRETARY OF  
STATE SOCIAL WELFARE BOARDS**

**(AS APPROVED BY EXECUTIVE COMMITTEE IN ITS 174th MEETING HELD ON 14.3.2013)**

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
1.	(i) नियुक्ति/ अनुशासनिक प्राधिकारी Appointing/ Disciplinary Authority (ii) अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी Appellate Authority/Reviewing Authority for employees of State Social Welfare Board  <b>The next higher Authority for appeal shall be considered the Full Board of State Social Welfare Board and Reviewing Authority shall be the Chairperson, CSWB. If Full Board is not in existence, then the Appellate Authority shall be Chairperson CSWB and Executive Committee CSWB shall be the Reviewing Authority.</b>	पूर्ण शक्ति Full powers		
2.	त्यागपत्र की स्वीकृति Acceptance of resignation	पूर्ण शक्ति Full powers		
3.	वेतन-नियतन अनुमोदित करने की शक्ति Power to approve fixation of pay	सचिव Secretary	राज्य बोर्ड के सभी कर्मचारी All employees of the State Board	लेखाकार के परामर्श से In consultation with Accountant
4.	दौरा-कार्यक्रम का अनुमोदन Approval of tour programme	सचिव एवं परियोजना अधिकारी Secretary & PO	सहायक परियोजना अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी तथा राज्य बोर्ड के अन्य कर्मचारी APO & WO and other employees of the State Board.	-

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
5.	क) वेतन अग्रिम, यात्रा-भत्ता अग्रिम, एल.टी.सी. अग्रिम, छुट्टी वेतन अग्रिम a) Pay advance, TA advance, LTC advance, Leave salary advance	सचिव के संबंध में In respect of Secretary	क) राज्य बोर्ड के सभी कर्मचारी a) All employees of the State Board	
	ख) क्षेत्रीय अधिकारियों को यात्रा भत्ता अग्रिम b) TA Advance of the Field Officers		ख) क्षेत्रीय अधिकारियों को यात्रा भत्ता अग्रिम b) TA Advance of the Field Officers	
6.	राज्य बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिम Advance to Board employees of SSWB क) कार, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटर की खरीद के लिए a) for purchase of car, computer, motor cycle, scooter ख) साइकिल, पंखे की खरीद के लिए b) Bicycle, fans	क) पूर्ण शक्ति a) Full powers	ख) पूर्ण शक्ति b) Full powers	
7.	वेतनवृद्धि मंजूर करना Grant of increments	सचिव Secretary	राज्य बोर्ड के अन्य सभी कर्मचारी All other employees of the State Board.	लेखाकार के परामर्श से In consultation with Accountant

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
8.	किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर करना Grant of leave of any kind (अर्जित छुट्टी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, असाधारण छुट्टी, विशेष छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, विशेष निःशक्तता छुट्टी, अर्जनशोध्य छुट्टी और अध्ययन छुट्टी) (Earned leave, HAPL, Commuted Leave, EOL, Special Leave, Maternity Leave, Special Disability Leave, Leave not due & study leave)	<ul style="list-style-type: none"> <li>सचिव की छुट्टी मंजूर करना Sanction of leave of Secretary</li> <li>परियोजना अधिकारी की छुट्टी की सिफारिश करना Recommended leave of PO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य बोर्ड के कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करना Sanction of leave of employees of State Board</li> <li>क्षेत्रीय अधिकारियों की छुट्टी की सिफारिश करना Recommended leave of Field Officers</li> </ul>	
9.	यात्रा-भत्ता बिलों के लिए नियंत्रण अधिकारी Controlling Officer for T.A. Bills	सचिव Secretary	राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अन्य सभी कर्मचारी All other employees of the State Social Welfare Board	उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दौरा कार्यक्रम के आधार पर यात्रा-भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। जिन मामलों में नियमों, आदेशों की व्याख्या और विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की जरूरत हो, उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। T.A. bills will be countersigned on the basis of tour programme approved by the appropriate authority. Cases involving interpretation of rules orders & exercise of discretionary powers will be put up for orders of appropriate authority.

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
10.	छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	-	राज्य बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति Full powers with regard to State Board employees	सभी के लिए एल.टी.सी. की ग्राह्यता लेखाकार द्वारा प्रमाणित की जाएगी। एल.टी.सी. के दावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। Admissibility of LTC will be certified by Accountant in respect of all. LTC claims will be countersigned by the Competent Authority.
11.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने तथा निर्धारित प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने की शक्ति Power to allow medical reimbursement of medical expenses and to countersign the bills and to record prescribed certificate.	पूर्ण शक्ति Full powers	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी चिकित्सा बिलों पर लेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। All medical bills will be countersigned by Accountant</li> <li>जिन मामलों में नियमों, आदेशों की व्याख्या और विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग तथा नियमों में छूट देने की जरूरत हो, उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। Cases involving interpretation of rules and orders exercise of discretionary powers and relaxation of rules will be put up for orders of competent authority</li> </ul>

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
12.	समयोपरि भत्ता Overtime allowances	-	पूर्ण शक्ति Full powers	इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर/मानदंडों के अनुसार According to scales laid down by the State Govt. in this regard
13.	आकस्मिकताओं के अंतर्गत विविध खर्च की मंजूरी/अग्रदाय राशि Sanction of miscellaneous expenditure under contingencies/imprest fund.	पूर्ण शक्ति Full powers	रु. 5,000 तक Up to Rs. 5,000	
14.	कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर, फिक्चर्स फिटिंग आदि की खरीद हेतु मंजूरी Sanction for purchase of office equipment and furniture, fixtures fitting etc.		वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों की अनुसूची- 5 के अनुसार Schedule - 5 as per DFPR	बजट प्रावधान के अधीन Subject to budget provision
15.	लेखन-सामग्री एवं उसकी प्रिंटिंग आदि Stationery & Printing of Stationery etc.		वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों की अनुसूची- 5 के अनुसार Schedule - 5 as per DFPR	बजट प्रावधान के अधीन Subject to budget provision
16.	पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा प्रचार-सामग्री का प्रकाशन Publication of books and publicity material including journals.	-	वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों की अनुसूची- 5 के अनुसार Schedule - 5 as per DFPR	बजट प्रावधान और कोटेशन आमंत्रित करने आदि के अधीन Subject to budget provision and inviting of quotations etc.
17.	डाक एवं टेलीग्राम का खर्च Postage and Telegram	-	पूर्ण शक्ति Full powers	-

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
18.	समूह III एवं IV के कर्मचारियों के लिए वर्दियां, क्लॉथिंग और अन्य वस्तुएं Liveries, clothing & others articles for class III & IV employees.	-	पूर्ण शक्ति Full power	सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार On the scales laid down by the Government.
19.	बिजली और पानी का खर्च Electricity and water charges.	-	पूर्ण शक्ति Full powers	
20.	कार्यालय की भूमि एवं भवन का किराया और कर Rent and taxes of office land and building	-	पूर्ण शक्ति Full powers	
21.	स्टाफ कार का रखरखाव एवं संचालन Maintenance and running of staff cars	-	पूर्ण शक्ति Full powers	
22.	संविदा (ढेका) विलेख Contracts deeds	पूर्ण शक्ति Full powers		
23.	सामान (डेड स्टॉक सहित) को पुराना, अप्रचलित और बेकार घोषित करना तथा उसके निपटान का आदेश देना To declare stores (including item of dead stock) to be obsolete or unserviceable and to order their disposal.	वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों की अनुसूची- 5 के अनुसार Schedule - 5 as per DFPR	-	-

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
24.	आकस्मिक छुट्टी, प्रतिबंधित छुट्टी की मंजूरी Grant of Casual Leave, RH	सचिव एवं परियोजना अधिकारी Secretary & PO	सभी क्षेत्रीय अधिकारी एवं राज्य बोर्ड के अन्य कर्मचारी All Field Officers and other employees of the State Board.	
25.	सामान्य नियमों के अंतर्गत शिक्षा-शुल्क (ट्यूशन फी) की प्रतिपूर्ति के मामले के सत्यापन और प्रतिपूर्ति की अनुमति देने तथा निर्धारित बिल में निर्धारित प्रमाणपत्र रिकॉर्ड करने की शक्ति Power to verify case of reimbursement of tuition fee and to allow reimbursement and record prescribed certificate in the bill under normal rules.	-	सचिव Secretary	लेखाकार के परामर्श से In consultation with Accountant
26.	कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान की मंजूरी Sanction of grant under programmes  शिशुगृह / Creche जागरूकता प्रसार परियोजना / AGP संक्षिप्त पाठ्यक्रम / CC परिवार परामर्श केंद्र / FCC	पूर्ण शक्ति Full powers		The powers be exercised following guidelines and due procedure under DFPR Rules with due diligence.  Chairperson State Board's approval is required in all administrative & financial matters. The Secretary, State Board will utilize powers with concurrence of Chairperson for sanction of grant under Creche, AGP,CC & FCC.

क्र.सं. Sl. No.	शक्तियों का स्वरूप Nature of power	राज्य बोर्ड की अध्यक्ष (विभाग-प्रमुख) Chairperson of SSWB (Head of Deptt.)	राज्य बोर्ड का सचिव (कार्यालय-प्रमुख) Secretary of SSWB (Head of Office)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5
27.	लेखा-विवरण का निपटान Settlement of accounts		लेखाकार के परामर्श से लेखा-विवरण का निपटान किया जाएगा Accounts to be settled in consultation with Accountant.	

**नोट / Note:**

- (i) राज्य बोर्ड की अध्यक्ष को पूर्ण शक्तियां होंगी। प्राधिकारी की अनुपस्थिति में, जिन्हें शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग प्रभारी अधिकारी/प्रशासक द्वारा किया जाएगा।  
The Chairperson, State Board will have full powers. In the absence of an authority, who has been delegated the powers, those powers shall be exercised by the OIC/Administrator.
- (ii) ऊपर जिन शक्तियों का उल्लेख नहीं है तथा जो विभिन्न मूलभूत नियमों, सामान्य वित्तीय नियमों, कोष नियमों और राज्य सरकार के अन्य नियमों, आदेशों आदि के अंतर्गत विभाग-प्रमुखों के दायरे में आती हैं, उन्हें अनुबंध के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यदि संबंधित नियमों, आदेशों आदि के अनुसार जिन मामलों में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है तो उन्हें केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।  
Powers not specified above, and vested with the Head of Department under various Fundamental Rules, General Finance Rules, Treasury Rules and other State Government Rules, orders, etc., may be exercised by the Chairperson under the stipulation, if any prescribed in the relevant rules, orders etc., cases requiring approval of the Central Social Welfare Board, may be referred to CSWB.